न्यायालय :–उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री मनमोहन मीना आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं0–44 / 2020

कन्हैयालाल उर्फ कानाराम पुत्र स्व0 श्री बलदेव
बंशीधर पुत्र स्व0 श्री बींजा
रमेश पुत्र स्व0 श्री बींजा
हरिकिशन पुत्र स्व0 श्री बींजा
समस्त व्यस्क, जाति जाट, निवासी ढाणी होलीवाली, तन–शाहपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)

–वादीगण

बनाम

1. मुरलीधर पुत्र स्व0 श्री सुक्खा, उम्र–व्यस्क, जाति जाट, निवासी दासावाली, तन–शाहपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)
2. अर्जुन पुत्र स्व0 श्री सुक्खा
3. भींवा पुत्र स्व0 सुक्खा
4. रामचन्द्र पुत्र स्व0 श्री सुक्खा
5. बोदूराम पुत्र स्व0 श्री सुन्दर
6. गणपतलाल पुत्र स्व0 श्री सुन्दर
7. रामेश्वर पुत्र स्व0 श्री सुन्दर
8. बरजी पत्नी स्व0 श्री सुन्दर (फौत नाम हजफ)
9. राजेन्द्र पुत्र स्व0 श्री सुरजमल
10. रोहिताश पुत्र स्व0 श्री सुरजमल
11. कोयली पत्नी स्व0 श्री सुरजमल

    समस्त व्यस्क, जाति जाट, निवासी ढाणी होलीवाली, तन–शाहपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान
12. साधुराम पुत्र स्व0 श्री चौथमल
13. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री चौथमल
14. रामस्वरूप पुत्र स्व0 श्री चौथमल
15. पूरणमल पुत्र स्व0 श्री चौथमल
16. कैलाश पुत्र स्व0 श्री चौथमल
17. राकेश पुत्र स्व0 श्री चौथमल
18. गुल्ली देवी पत्नी स्व0 श्री चौथमल

    समस्त व्यस्क, जाति जाट, निवासी ढाणी दासावाली, तन–शाहपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)
19. पपीता पुत्री स्व0 श्री चौथमल पत्नी श्री कैलाश चन्द उम्र–व्यस्क, जाति जाट, निवासी ढाणी मैडीवाला, तन जाजैकलां, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)
20. जगदीश पुत्र रामदयाल, उम्र–व्यस्क, जाति जाट, निवासी ढाणी दासावाली, तन–शाहपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)
21. हनुमान पुत्र गंगासहाय
22. मोतीलाल पुत्र गिरधारी

    समस्त व्यस्क, जाति जाट, निवासी ढाणी होलीवाली, तन–शाहपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)
23. नन्छी पुत्री गिरधारी पत्नी बनवारी
24. खेमा पुत्री गिरधारी पत्नी शंकर

    समस्त व्यस्क, जाति जाट, निवासी लीलोकाबास, सुरपुरा, तह0 विराटनगर, जिला जयपुर (राज0)
25. प्रदीप पुत्र सुल्तान
26. मन्जीत पुत्र सुल्तान
27. निकिता पुत्र सुल्तान
28. सुमित्रा पत्नी स्व0 सुल्तान

    समस्त व्यस्क, जाति जाट, निवासी ढाणी होलीवाली, तन–शाहपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)
29. रामसिंह पुत्र स्व0 श्री प्रभूदयाल
30. जयराम पुत्र स्व0 श्री प्रभूदयाल

    समस्त व्यस्क, जाति जाट, निवासी ढाणी होलीवाली, तन–शाहपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)
31. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)
32. उपपंजीयक उपपंजीयन कार्यालय–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 2/8/2022

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

वादीगण ने प्रस्तुत वाद धोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय का पेश किया कि :-

यहकि आराजी खसरा नं0-4747 रकबा 0.27, 4748 रकबा 0.25, 4749 रकबा 0.36, 4752 रकबा 0.26, 4753 रकबा 0.40, 4755 रकबा 0.11, 4756 रकबा 0.44, 4757 रकबा 0.27, 4758 रकबा 0.29, 4759 रकबा 0.32, 4760 रकबा 0.34, 4761 रकबा 0.22, 4783 रकबा 0.43 है0 किता-13 कुल रकबा 3.96 है0 वाकै ग्राम-शाहपुरा, पटवार हल्का-शाहपुरा ए, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी में प्रतिवादी सं0-1 लगायत 4 के पिता सुक्खा पुत्र बलदेव का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0-5 लगायत 11 के पिता व पति दादा व ससुर सुन्दर पुत्र बलदेव का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0-12 लगायत 19 के पिता व पति चौथमल पुत्र रामदयाल का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं0-20 जगदीश पुत्र रामदयाल का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं0-21 हनुमान पुत्र गंगासहाय का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं0-22 लगायत 24 प्रत्येक का 1/32-1/32 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0-25 लगायत 28 प्रत्येक का 1/128-1/128 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा आराजी खसरा नं0-4750 रकबा 0.46, 4751 रकबा 0.19, 4754 रकबा 0.55, 4784 रकबा 0.45 किता-4 कुल रकबा 1.65 है0 वाकै ग्राम-शाहपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी में प्रतिवादी सं0-1 लगायत 4 के पिता सुक्खा पुत्र बलदेव का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं0-5 लगायत 11 के पिता पति दादा व ससुर सुन्दर पुत्र बलदेव का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0-12 लगायत 19 के पिता व पति चौथमल पुत्र रामदयाल का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं0-20 जगदीश पुत्र रामदयाल का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं0-21 हनुमान पुत्र गंगासहाय का 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0-22 लगायत 24 प्रत्येक का 1/32-1/32 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0-25 लगायत 28 प्रत्येक का 1/128-1/128 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है खातेदार सुक्खा पुत्र बलदेव, सुन्दर पुत्र बलदेव, चौथमल पुत्र रामदयाल फौत हो चुके है मृतक सुक्खा के प्रतिवादी सं0-1 लगायत 4 व मृतक सुन्दर के प्रतिवादी सं0-5 लगायत 11, मृतक चौथमल के प्रतिवादी सं0-12 लगायत 19 वारिस व उत्तराधिकारी है जिन्होने मृतको की चल एवं अचल सम्पति उत्तराधिकार में प्राप्त की है, उक्त वर्णित हाल खसरा नम्बरान साबिक खसरा नं0-3356, 3357 मि., 3355 मि., 3344 मि. 3345 मि., 3346 मि., 3358 मि., 3354 मि., 3359 मि. आदि से बने है नकल मिलान क्षैत्रफल संलग्न वाद पत्र है।

2. यहकि आराजी खसरा नं0-4512 रकबा 0.40, 4513 रकबा 0.44, 4521 रकबा 0.40, 4525 रकबा 0.44, 4579 रकबा 0.11, 4580 रकबा 0.11, 4581 रकबा 0.38, 4582 रकबा 0.38, 4583 रकबा 0.39, 4584 रकबा 0.40 किता-10 कुल रकबा 3.45 है0 वाकै ग्राम-शाहपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी में वादी सं0-1 कन्हैया पुत्र बलदेव का 1/10 हिस्सा वादी सं0-2 लगायत 4 प्रत्येक का 1/30-1/30 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0-1 लगायत 4 व इनकी माता मृतक बिदामी प्रत्येक का 1/50-1/50 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0-5 लगायत 8 व 9 लगायत 11 के मृतक पिता व पति सुरजमल प्रत्येक का 1/50-1/50 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0-29 व 30 प्रत्येक का 1/20-1/20 हिस्सा तथा शेष हिस्सा प्रतिवादी सं0-12 लगायत 19 के मृतक पिता व पति मृतक चौथमल पुत्र रामदयाल व प्रतिवादी सं0-20 लगायत 28 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है आराजी के उक्त हाल खसरा नम्बरान साबिक खसरा नं0-2131, 2133, 3316, 3317 से बने है

3. यहकि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-1 लगायत 11 व 29, 30 का सजरा खानदान निम्न प्रकार है-

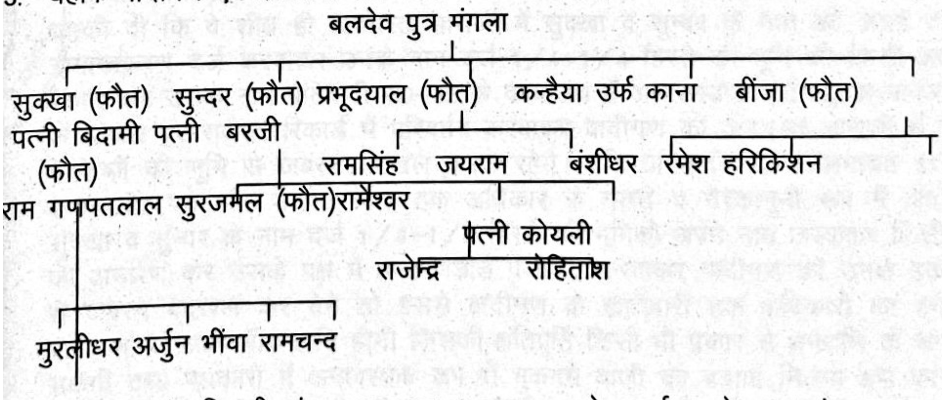

वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-1 लगायत 11, 29, 30 के बुजुर्ग बलदेव पुत्र मंगला का साबिक सेटलमेन्ट से काफी समय पहले ही देहान्त हो गया था बलदेव पुत्र मंगला के लडके सुक्खा, सुन्दर, प्रभूदयाल, कन्हैया उर्फ कानाराम, बीजा पांचो वरवक्त साबिक सेटलमेन्ट एवं उसके पहले से शामिल मे संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे बजमाने जागीर से भूमि साबिक खसरा नं0-3344, 3345, 3346, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359 एवं साबिक खसरा नं0-2131, 2133, 2137, 3316, 3317 किता-5 कुल रकबा 13 बीधा 19 बिस्वा वाकै ग्राम-शाहपुरा, तह0 बैराठ के 1/2 भाग को पांचो भाई संयुक्त रूप से शामिल में ही बहैसियत काश्तकार काश्त करते रहे है तथा 1/2 भाग को प्रतिवादी सं0-12 लगायत 28 के बुजुर्ग श्योनाथ पुत्र मंगला काश्त करता रहा है।

4. यहकि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-1 लगायत 11, 29, 30 के बुजुर्ग बलदेव पुत्र मंगला के गुजर जाने के बाद उसके लडको में सुक्खा व सुन्दर ही बडे एवं मुखिया थे तथा कर्ताखानदान थे वरवक्त चालु होने टर्म सेटलमेन्ट सं0-2008 एवं वरवक्त लागु होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक-15.10.1955 को भी पांचो भाई वाद में वर्णित आराजी को बहैसियत काश्तकार संयुक्त रूप से काश्त कर रहे

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

थे तथा साबिक सेटलमेन्ट से पहले भूमि का लगान ठिकानेदार को ठिकाना–शाहपुरा में जमा कराते थे एवं काश्तकारी कानूनी लागू होने के बाद नियमानुसार अपने अपने हिस्से अनुसार पांचो भाई लगान राज में जमा कराते रहे है साबिक सेटलमेन्ट में सुक्खा व सुन्दर ने घर का मुखिया व कर्ताखानदान होने के कारण वाद पत्र के जिमन नं0–3 में वर्णित आराजी के 1/2 भाग पर अपना अकेलो का नाम दर्ज करवा लिया अपने अन्य भाई वादी सं0–1 कन्हैया उर्फ कानाराम व प्रभुदयाल बींजा का नाम दर्ज नहीं करवाया जबकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की अन्य आराजी में पांचो भाई का नाम दर्ज करवा दिया।

5. यहकि वादी सं0–1 व उसके भाई बींजा ने प्रतिवादी सं0–1 लगायत 11 के बुजुर्गान सुक्खा व सुन्दर को कई बार वाद पत्र के जिमन नं0–1 व 2 में वर्णित आराजी की खातेदारी में 1/10–1/10 हिस्से पर नाम दर्ज कराने के लिये कहां तो वे कृषि कार्य में व्यस्त रहने की कहकर टालमटोल करते रहे है, उक्त सुक्खा व सुन्दर की मृत्यु के बाद वादीगण ने प्रतिवादी सं0–1 लगायत 11 को वाद पत्र में वर्णित आराजी में सुक्खा पुत्र बलदेव व सुन्दर पुत्र बलदेव के नाम दर्ज 1/4–1/4 हिस्से की भूमि में वादी सं0–1 का 1/5–1/5 हिस्से पर व वादी सं0–2 लगायत 4 का 1/5–1/5 हिस्से पर तथा प्रतिवादी सं0–29 व 30 का 1/5–1/5 हिस्से की खातेदारी दर्ज करवाने के लिए कहां तो उन्होने वादीगण को आश्वासन दिया कि वे कभी भी राजस्व अभियान में अथवा तहसील में जाकर वादीगण के नाम वाद पत्र में वर्णित आराजी की खातेदारी दर्ज करवा देगे।

6. यहकि प्रतिवादी सं0–29 व 30 ने वाद पत्र में वर्णित आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण मुरलीधर वगैरह के खिलाफ माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी–शाहपुरा, जिला जयपुर के समक्ष राजस्व वाद सं0–202/2007 (63/2019) उनवानी रामसिंह वगैरह बनाम मुरलीधर वगैरह दावा बाबत इस्तकरारहक खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था जिससे प्रतिवादी सं0–1 लगायत 8 व प्रतिवादी सं0–9 लगायत 11 के पिता व पति सुरजमल ने दिनांक–26.09.2008 को राजीनामा पेश किया था जिसमें उनके द्वारा वाद पत्र में वर्णित आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0–29 व 30 का 1/2 हिस्से की भूमि में 3/5 हिस्सा होना स्वीकार किया है तथा उक्त हिस्से की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादी सं0–29 व 30 के नाम दर्ज कर दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होने का कथन किया था उक्त राजीनामा में किये गये कथन से प्रतिवादी सं0–1 लगायत 11 पाबन्द है उक्त राजस्व वाद न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक–04.11.2009 द्वारा निरस्तारित किया गया था लेकिन प्रतिवादी सं0–12 लगायत 19 के पिता व पति चौथमल व प्रतिवादी सं0–20 लगायत 28 द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री को अपास्त कराने बाबत माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–9 नियम–13 सपठित धारा–151 जाप्ता दीवानी पेश किया गया था जो बाद सुनवाई आदेश दिनांक–15.10.2019 द्वारा स्वीकार किया जाकर उक्त निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दिया गया है और उक्त राजस्व वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है

7. यहकि अब प्रतिवादी सं0–1 लगायत 11 के मन में वादग्रस्त आराजी की कीमत बढ जाने के कारण दुर्भावना आ गई है और वे वादग्रस्त आराजी को दीगर व्यक्ति को बेचान करने की फिराक में है वादीगण ने अर्सा पांच दिवस पूर्व प्रतिवादी सं0–1 लगायत 11 को वाद पत्र में वर्णित आराजी में सुक्खा व सुन्दर के नाम दर्ज 1/4–1/4 हिस्से की भूमि में वादी सं0–1 का 1/5–1/5 हिस्सा व वादी सं0–2 लगायत 4 का 1/5–1/5 हिस्से की खातेदारी दर्ज करवाने की कही तो उन्होने वादीगण के नाम वादग्रस्त आराजी की खातेदारी दर्ज करवाने से इन्कार कर दिया तथा वादीगण को एलानियां धमकी दी कि वे शीध्र ही वादग्रस्त आराजी में सुक्खा व सुन्दर के नाम की जगह उनका नाम जरिये नामान्तकरण दर्ज करवाकर उनके नाम दर्ज 1/4–1/4 हिस्से की भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर उसके नाम प्रतिवादी सं0–32 के कार्यालय में अन्तरणडीड पंजीबद्ध करवाकर व अन्तरण डीड के आधार पर राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजी में उनके हक हिस्से व कब्जे की भूमि से जबरन बेदखल करके रहेगे। यदि प्रतिवादी सं0–1 लगायत 11 अपने मन्सूबे में सफल हो गये और उन्होने बिना हक अधिकार के गलत व गैरकानूनी रूप में वादग्रस्त आराजी में सुक्खा व सुन्दर के नाम दर्ज 1/4–1/4 हिस्से की भूमिको अपने नाम करवाकर किसी अजनबी व्यक्ति को अन्तरण कर उसके पक्ष में अन्तरणडीड पंजीबद्ध करवाकर वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल कर देगे तो इससे वादीगण के खातेदारी हक अधिकारो का हनन होगा जिससे वादीगण को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रूप में नहीं की जा सकेगी तथा पक्षकारो में अनावश्यक रूप से मुकदमें बाजी को बढावा मिलेगा इस कारण वादीगण को उक्त वाद बाबत धोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के खिलाफ माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

8. यहकि बिनाय दावा वाद पत्र में दर्ज अनुसार वादग्रस्त आराजी में सुक्खा व सुन्दर के नाम दर्ज 1/4–1/4 हिस्से की भूमि में वादी सं0–1 का 1/5, 1/5 हिस्सा व वादी सं0–2 लगायत 4 का 1/5– 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं0–29 व 30 का 1/5– 1/5 हिस्सा होने व उक्त हिस्से की खातेदारी वादी सं0–1 व वादी सं0–2 लगायत 4 के बुजुर्ग बींजा के नाम दर्ज करवाने का आश्वासन प्रतिवादी सं0–1 लगायत 11 व उनके बुजुर्ग सुक्खा व सुन्दर द्वारा देते रहने व विचाराधीन राजस्व वाद सं0–202/2007 (63/2019) में प्रतिवादीगण मुरलीधर वगैरह द्वारा राजीनामा करने व उक्त राजीनामा में वादग्रस्त आराजी में वादीगण का हक हिस्सा स्वीकार करने तथा अब अर्सा पांच दिवस पूर्व वादीगण को आराजी मुतनाजा में उनके हक हिस्से की भूमि की खातेदारी दर्ज कराने से इंकार करने व वादपत्र में वर्णित प्रकार से धमकी दिये जाने से पैदा होकर दावा अन्दर मियाद पेश है।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

9. यहकि प्रतिवादी सं0–12 लगायत 28 वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार है जिनका वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा है वादीगण ने प्रतिवादीगण सं0–12 लगायत 28 के विरूद्ध उक्त वाद में कोई अनुतोष नहीं चाहा है लेकिन वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार होने के कारण उन्हे उक्त वाद में पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है तथा वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी सं0–29 व 30 का हिस्सा हक होने से उन्हे प्रतिवादी बनाया गया है।

10. यहकि प्रतिवादी सं0–31 राज्य सरकार व प्रतिवादी सं0–32 उसका लोक सेवक है जिनके विरूद्ध दावा दायर करने से पूर्व धारा 80 (1) जाप्ता दीवानी के तहत दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है, किन्तु प्रस्तुत मामला अत्यावश्यक प्रकृति का होने के कारण उक्त विधिक नोटिस प्रतिवादी सं0–31 व 32 को दिया जाना संभव नहीं रहा है इस कारण वादीगण ने धारा–80 (2) सपठित धारा–151 जाप्ता दीवानी का अलग से प्रार्थना पत्र पेशकर माननीय न्यायालय से विधिक नोटिस दिये जाने से छूट व दावा दायर करने की प्रतिवादी सं0–31 व 32 के खिलाफ अनुमति प्राप्त की है।

11. यहकि आराजी मुतनाजा व पक्षकारान का निवास स्थान व कार्यालय माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में स्थित होने के कारण प्रस्तुत वाद पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

12. यहकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित कोर्टफीस दावा बाबत घोषणा खातेदारी 1/–रूपये व दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा 1/–रूपये कुल दो रूपये की कोर्ट फीस पर प्रस्तुत वाद पत्र पेश है।

13. यहकि वादीगण प्रार्थी है कि :–

(क) यहकि वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ मन्जूर किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नं0–4747 रकबा 0.27, 4748 रकबा 0.25, 4749 रकबा 0.36, 4752 रकबा 0.26, 4753 रकबा 0.40, 4755 रकबा 0.11, 4756 रकबा 0.44, 4757 रकबा 0.27, 4758 रकबा 0.29, 4759 रकबा 0.32, 4760 रकबा 0.34, 4761 रकबा 0.22, 4783 रकबा 0.43 है0 किता–13 कुल रकबा 3.96 है0 वाकै ग्राम–शाहपुरा, पटवार हल्का–शाहपुरा ए, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर एवं आराजी खसरा नं0–4750 रकबा 0.46, 4751 रकबा 0.19, 4754 रकबा 0.55, 4784 रकबा 0.45 किता–4 कुल रकबा 1.65 है0 वाकै ग्राम–शाहपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर में प्रतिवादी सं0–1 लगायत 11 के बुजुर्ग सुक्खा पुत्र बलदेव हिस्सा 1/4, सुन्दर पुत्र बलदेव हिस्सा 1/4 में वादी सं0–1 कन्हैयालाल उर्फ कानाराम पुत्र बलदेव को 1/5–1/5 हिस्सा का तथा वादी सं0–2 लगायत 4 को 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उक्त घोषणा का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे तथा प्रतिवादी सं0–1 लगायत 11, 31, 32 को व उनके नौकर, एजेन्ट, प्रतिनिधी, स्थानापन्न, वारिसान आदि को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण को वादग्रस्त आराजी में उनके हक हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल नहीं करे तथा उन्हे शांति पूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवे। एवं हर्जा खर्चा वाद व अन्य सहायता बहक वादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय उचित समझे अता फरमायी जावे तथा जिसके सम्बन्ध में वादीगण ने वादग्रस्त आराजी का राजस्व रिकार्ड पेश किया है।

14. यहकि दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के पेशशुदा सम्मन जारी किये गये वाद सम्मन तामिल प्रकरण में प्रतिवादी सं0–1 लगायत 10 उपस्थित हुये शेष प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तामिल के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई प्रतिवादी सं0–8 बरजी पत्नी श्री सुन्दर के दौरान विचारण दावा फौत होने पर प्रकरण में दिनांक–28.07.2021 को उसका नाम हजफ किया गया।

15. यहकि दावा दिनांक–06.06.2022 को वादीगण से प्रतिवादी सं0–1 लगायत 7, 9, 10 व 11 ने उपस्थित होकर राजीनामा को तस्दीक फरमाया जाकर राजीनामा पेश किया कि :–

(1) यहकि आराजी खसरा नं0–4747 रकबा 0.27, 4748 रकबा 0.25, 4749 रकबा 0.36, 4752 रकबा 0.26, 4753 रकबा 0.40, 4755 रकबा 0.11, 4756 रकबा 0.44, 4757 रकबा 0.27, 4758 रकबा 0.29, 4759 रकबा 0.32, 4760 रकबा 0.34, 4761 रकबा 0.22, 4783 रकबा 0.43 किता–13 कुल रकबा 3.96 है0 वाकै ग्राम–शाहपुरा, पटवार हल्का–शाहपुरा ए, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है, जिसकी खातेदारी में हम प्रतिवादी सं0–1 लगायत 4 के पिता सुक्खा पुत्र बलदेव का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0–5 लगायत 11 के पिता/पति दादा व ससुर सुन्दर पुत्र बलदेव का 1/4 हिस्सा है, उक्त सुक्खा, सुन्दर के वादी सं0–1 कन्हैयालाल उर्फ कानाराम, बीजा, प्रभूदयाल सगे भाई रहे है उक्त पांचो भाई सुक्खा, सुन्दर, कन्हैयालाल उर्फ कानाराम, बींजा, प्रभूदयाल पुत्रान बलदेव उक्त आराजी पर शामिल में काबिज काश्त रहे है लेकिन साबिक सेटलमेन्ट में उक्त आराजी के 1/4 हिस्से का पर्चा खातेदारी अकेले सुक्खा पुत्र बलदेव के नाम तथा 1/4 हिस्से का पर्चा खातेदारी अकेले सुन्दर पुत्र बलदेव के नाम ही बन गया जबकि उक्त भूमि में सुक्खा, सुन्दर के नाम दर्ज 1/4, 1/4 हिस्से की भूमि में वादी सं0–1 कन्हैयालाल उर्फ कानाराम का 1/5, 1/5 हिस्सा यानि 1/20, 1/20 हिस्सा एवं वादी सं0–2 लगायत 4 के पिता बींजाराम का 1/5–1/5 हिस्सा यानि 1/20–1/20 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0–29 व 30 के पिता प्रभूदयाल का 1/15, 1/15 हिस्सा यानि 1/20, 1/20 हिस्सा रहा है प्रतिवादी स0–1 लगायत 4 के पिता सुक्खा व प्रतिवादी सं0–5 लगायत 11 के पिता पति दादा व ससुर सुन्दर तथा वादी सं0–2 लगायत 4 के पिता बींजा तथा प्रतिवादी सं0–29 व 30 के पिता प्रभूदयाल की मृत्यु हो चुकी है, उक्तआराजी में सुक्खा पुत्र बलदेव के नाम दर्ज 1/4 हिस्से मे से वादी सं0–1 कन्हैयालाल उर्फ कानाराम का 1/5 हिस्से तथा वादी सं0–2 लगायत 4 का 1/5 हिस्से की खातेदारी दर्ज कर दी जावे तो हम प्रतिवादी सं0–1 लगायत 4 को कोई आपत्ति नहीं है।उक्त आराजी में सुन्दर पुत्र बलदेव के नाम दर्ज 1/4 हिस्से मे से वादी सं0–1 कन्हैयालाल उर्फ कानाराम का 1/5 हिस्से तथा वादी

अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

सं0–2 लगायत 4 का 1/5 हिस्से की खातेदारी दर्ज कर दी जावे तो हम प्रतिवादी सं0–5 लगायत 7, 9, 10 व 11 को कोई आपत्ति नहीं है।

यहकि आराजी खसरा नं0–4750 रकबा 0.46, 4751 रकबा 0.19, 4754 रकबा 0.55, 4784 रकबा 0.45 किता–4 कुल रकबा 1.65 है0 वाके ग्राम–शाहपुरा, पटवार हल्का–शाहपुरा ए, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी में हम प्रतिवादी सं0–1 लगायत 4 के पिता सुक्खा पुत्र बलदेव का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0–5 लगायत 11 के पिता पति दादा व ससुर सुन्दर पुत्र बलदेव का 1/4 हिस्सा है, उक्त सुक्खा सुन्दर के वादी सं0–1 कन्हैयालाल उर्फ कानाराम, बीजा, प्रभू दयाल सगे भाई रहे है, उक्त पांचो भाई सुक्खा, सुन्दर, कन्हैयालाल उर्फ कानाराम व बीजा, प्रभू दयाल पुत्रान बलदेव उक्त आराजी पर शामिल में काबिज काश्त रहे है, लेकिन साबिक सैटलमेन्ट में उक्त आराजी के 1/4 हिस्से का पर्चा खातेदारी अकेले सुक्खा पुत्र बलदेव के नाम तथा 1/4 हिस्से का पर्चा खातेदारी अकेले सुन्दर पुत्र बलदेव के नाम ही बन गया जबकि उक्त भूमि में सुक्खा सुन्दर के नाम दर्ज 1/4, 1/4 हिस्से की भूमि में वादी सं0–1 कन्हैयालाल उर्फ कानाराम का 1/5, 1/5 हिस्सा यानि 1/20, 1/20 हिस्सा एवं वादी सं0–2 लगायत 4 के पिता बीजा का 1/5, 1/5 हिस्सा यानि 1/20, 1/20 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0–29 व 30 के पिता प्रभूदयाल का 1/5, 1/5 हिस्सा यानि 1/20, 1/20 हिस्सा रहा है, प्रतिवादी सं0–1 लगायत 4 के पिता सुक्खा व प्रतिवादी सं0–5 लगायत 11 के पिता पति दादा व ससुर सुन्दर तथा वादी सं0–2 लगायत 4 के पिता बीजा तथा प्रतिवादी सं0–29 व 30 के पिता प्रभूदयाल की मृत्यु हो चुकी है, उक्त आराजी में सुक्खा पुत्र बलदेव के नाम दर्ज 1/4 हिस्से में से वादी सं0–1 कन्हैयालाल उर्फ कानाराम का 1/5 हिस्से तथा वादी सं0–2 लगायत 4 का 1/5 हिस्से की खातेदारी दर्ज कर दी जावे इसमें हम प्रतिवादी सं0–1 लगायत 4 को कोई आपत्ति नहीं है, तथा सुन्दर पुत्र बलदेव के नाम दर्ज 1/4 हिस्से में से वादी सं0–1 कन्हैयालाल उर्फ कानाराम का 1/5 हिस्से तथा वादी सं0–2 लगायत 4 का 1/5 हिस्से की खातेदारी दर्ज कर दी जावे इसमें हम प्रतिवादी सं0–5 लगायत 7 ,9 10 व 11 को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः राजीनामा पेशकर निवेदन है कि उक्त राजीनामा को तस्दीक फरमाया जाकर राजीनामा के जिमन नं0–1 व 2 में वर्णित प्रकार से आराजी की खातेदारी में वादी सं0–1 कन्हैयालाल उर्फ कानाराम पुत्र बलदेव तथा वादी सं0–2 लगायत 4 बन्शीधर, रमेश हरिकिशन पुत्रान स्व0 श्री बीजा का नाम दर्ज करने की कृपा करें। उक्त राजीनामा को वादीगण एवं प्रतिवादी सं0–1 लगायत 7, 9, 10 व 11 को पढ़ा व सुनाकर समझाया गया तो उन्होंने उक्त राजीनामा को स्वीकार किया। प्रतिवादी सं0–1 लगायत 7, 9, 10 व 11 की पहचान श्री जितेन्द्र कुमार पलसानियाँ एडवोकेट ने तथा वादीगण की पहचान श्री मदनलाल जाट एडवोकेट ने की। बाद जॉच उक्त राजीनामा दिनांक–06.06.2022 को तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

16. यहकि प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा वाद पत्र व राजस्व रिकार्ड का तथा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0–1 लगायत 7, 9, 10 व 11 द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। मुताबिक राजीनामा वादीगण का वाद मंजूर किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक राजीनामा वादीगण का वाद मंजूर किया जाकर आराजी खसरा नं0–4747 रकबा 0.27, 4748 रकबा 0.25, 4749 रकबा 0.36, 4752 रकबा 0.26, 4753 रकबा 0.40, 4755 रकबा 0.11, 4756 रकबा 0.44, 4757 रकबा 0.27, 4758 रकबा 0.29, 4759 रकबा 0.32, 4760 रकबा 0.34, 4761 रकबा 0.22, 4783 रकबा 0.43 किता–13 कुल रकबा 3.96 है0 वाके ग्राम–शाहपुरा, पटवार हल्का–शाहपुरा ए, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर एवं आराजी खसरा नं0–4750 रकबा 0.46, 4751 रकबा 0.19, 4754 रकबा 0.55, 4784 रकबा 0.45 किता–4 कुल रकबा 1.65 है0 वाके ग्राम–शाहपुरा, पटवार हल्का–शाहपुरा ए, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर में सुक्खा पुत्र बलदेव के दर्ज 1/4 हिस्से मे से वादी सं0–1 कन्हैयालाल उर्फ कानाराम पुत्र बलदेव को 1/5 हिस्से का एवं वादी सं0–2 लगायत 4 बंशीधर, रमेश हरिकिशन पुत्रान स्व0 बीजा को 1/5 हिस्सा का तथा उक्त आराजी में सुन्दर पुत्र बलदेव के दर्ज 1/4 हिस्से में से वादी सं0–1 कन्हैयालाल उर्फ कानाराम पुत्र बलदेव को 1/5 हिस्से का एवं वादी सं0–2 लगायत 4 बंशीधर, रमेश हरिकिशन पुत्रान स्व0 बीजा को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त घोषणा का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है तहसीलदार शाहपुरा को पालनार्थ लिखा जावे। तदानुसार पर्चा डिकी जारी हो।

आज दिनांक 3/8/2022 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनमोहन मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना , आर ए एस

वाद संख्या :– 44/2020

उनवान

कन्हैयालाल उर्फ कानाराम पुत्र स्व0 श्री बलदेव
बंशीधर पुत्र स्व0 श्री बींजा
रमेश पुत्र स्व0 श्री बींजा
हरिकिशन पुत्र स्व0 श्री बींजा
समस्त व्यस्क, जाति जाट, निवासी ढाणी होलीवाली, तन–शाहपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0) –वादीगण

बनाम

1 मुरलीधर पुत्र स्व0 श्री सुक्खा, उम्र–व्यस्क, जाति जाट, निवासी दासावाली, तन–शाहपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)
2 अर्जुन पुत्र स्व0 श्री सुक्खा
3 भींवा पुत्र स्व0 सुक्खा
4 रामचन्द्र पुत्र स्व0 श्री सुक्खा
5 बोदूराम पुत्र स्व0 श्री सुन्दर
6 गणपतलाल पुत्र स्व0 श्री सुन्दर
7 रामेश्वर पुत्र स्व0 श्री सुन्दर
8 बरजी पत्नी स्व0 श्री सुन्दर (फौत नाम हजफ)
9 राजेन्द्र पुत्र स्व0 श्री सुरजमल
10 रोहिताश पुत्र स्व0 श्री सुरजमल
11 कोयली पत्नी स्व0 श्री सुरजमल
समस्त व्यस्क, जाति जाट, निवासी ढाणी होलीवाली, तन–शाहपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान
12 साधुराम पुत्र स्व0 श्री चौथमल
13 ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री चौथमल
14 रामस्वरूप पुत्र स्व0 श्री चौथमल
15 पूरणमल पुत्र स्व0 श्री चौथमल
16 कैलाश पुत्र स्व0 श्री चौथमल
17 मुकेश पुत्र स्व0 श्री चौथमल
18 गुल्ली देवी पत्नी स्व0 श्री चौथमल
समस्त व्यस्क, जाति जाट, निवासी ढाणी दासावाली, तन–शाहपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)
19 पपीता पुत्री स्व0 श्री चौथमल पत्नी श्री कैलाश चन्द उम्र–व्यस्क, जाति जाट, निवासी ढाणी मैडीवाला, तन जाजैकलां, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)
20 जगदीश पुत्र रामदयाल, उम्र–व्यस्क, जाति जाट, निवासी ढाणी दासावाली, तन–शाहपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)
21 हनुमान पुत्र गंगासहाय
22 मोतीलाल पुत्र गिरधारी
समस्त व्यस्क, जाति जाट, निवासी ढाणी होलीवाली, तन–शाहपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)
23 नन्छी पुत्री गिरधारी पत्नी बनवारी
24 खेमा पुत्री गिरधारी पत्नी शंकर
समस्त व्यस्क, जाति जाट, निवासी लीलोकाबास, सुरपुरा, तह0 विराटनगर, जिला जयपुर (राज0)
25 प्रदीप पुत्र सुल्तान
26 मन्जीत पुत्र सुल्तान
27 निकिता पुत्र सुल्तान
28 सुमित्रा पत्नी स्व0 सुल्तान
समस्त व्यस्क, जाति जाट, निवासी ढाणी होलीवाली, तन–शाहपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)
29 रामसिंह पुत्र स्व0 श्री प्रभूदयाल
30 जयराम पुत्र स्व0 श्री प्रभूदयाल
समस्त व्यस्क, जाति जाट, निवासी ढाणी होलीवाली, तन–शाहपुरा, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)
31 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)
32 उपपंजीयक उपपंजीयन कार्यालय–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक ....

आदेश दिनांक 08.08.2022

अतः मुताबिक राजीनामा वादीगण का वाद मंजूर किया जाकर आराजी खसरा 4747 रकबा 0.27, 4748 रकबा 0.25, 4749 रकबा 0.36, 4752 रकबा 0.26, 4753 रकबा 0.40, 5 रकबा 0.11, 4756 रकबा 0.44, 4757 रकबा 0.27, 4758 रकबा 0.29, 4759 रकबा 0.32, 0 रकबा 0.34, 4761 रकबा 0.22, 4783 रकबा 0.43 किता–13 कुल रकबा 3.96 है0 वाके –शाहपुरा, पटवार हल्का–शाहपुरा ए, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर एवं आराजी खसरा –4750 रकबा 0.46, 4751 रकबा 0.19, 4754 रकबा 0.55, 4784 रकबा 0.45 किता–4 कुल बा 1.65 है0 वाके ग्राम–शाहपुरा, पटवार हल्का–शाहपुरा ए, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर में खा पुत्र बलदेव के दर्ज 1/4 हिस्से मे से वादी सं0–1 कन्हैयालाल उर्फ कानाराम पुत्र बलदेव 1/5 हिस्से का एवं वादी सं0–2 लगायत 4 बंशीधर, रमेश हरिकिशन पुत्रान स्व0 बीजा को 5 हिस्सा का तथा उक्त आराजी में सुन्दर पुत्र बलदेव के दर्ज 1/4 हिस्से मे से वादी सं0–1 हैयालाल उर्फ कानाराम पुत्र बलदेव को 1/5 हिस्से का एवं वादी सं0–2 लगायत 4 बंशीधर, श हरिकिशन पुत्रान स्व0 बींजा को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है ा उक्त धोषणा का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार हपुरा को पालनार्थ लिखा जावे।

आज तारीख 3|8|2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
.... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय		आदेशिका की तामील	
कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	